

# गवाही देना

अदालती कार्रवाइयों में बच्चों की सुनवाई के मामलों में  
बच्चों के लिए पुस्तिका



# गवाही देना

अदालती कार्रवाइयों में बच्चों की सुनवाई के मामलों में  
बच्चों के लिए पुस्तिका

स्प्रिंगबर्न (Springburn) के एलबर्ट प्राइमरी स्कूल (Albert Primary School) और  
पॉल्लोकशील्ड्स (Pollokshields) के ग्लेनडेल प्राइमरी स्कूल (Glendale Primary School) के बच्चों को विशेष  
धन्यवाद।

चित्र: एलेनर मेरेडिथ (Eleanor Meredith),  
डनकन जॉर्डनस्टोन कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन (Duncan of Jordanstone College of Art and Design),  
यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी (University of Dundee)

स्कॉटिश प्रशासन (Scottish Executive) के लिए ऐस्ट्रॉन (Astron) B41392 06/05 द्वारा निर्मित  
स्कॉटिश प्रशासन (Scottish Executive) द्वारा प्रकाशित, जून, 2005  
यह दस्तावेज़ 100% पुनरुत्पादित कागज पर मुद्रित है और 100% पुनःप्रयोग्य है।

# विषय—सूची

- 01 परिचय
- 02 गवाह क्या है?
- 04 आपकी मदद कौन कर सकता है?
- 06 मेरे अदालत में जाने से पहले क्या होता है?
- 07 अदालत क्या है?
- 08 अदालत में कौन-कौन होते हैं और उनके काम क्या हैं?
- 10 गवाह के रूप में आपका काम क्या है?
- 12 अदालत को बताना कि आप क्या जानते हैं
- 14 आपको गवाह बनने में सहायता देना
- 16 विशेष टेलीविजन का प्रयोग करना
- 18 ओट (स्क्रीन) का प्रयोग करना
- 20 सहायक व्यक्ति का उपयोग करना
- 21 अन्य बातें जो आपकी मदद कर सकती हैं
- 22 अदालत में जाना
- 24 गवाह बनने के लिए प्रतीक्षा करना
- 26 आपकी गवाही पूरी हो जाने पर क्या होता है?
- 27 याद रखने योग्य बातें
- 28 प्रश्न?

## परिचय

आपसे गवाह बनने को कहा गया है।

यह पुस्तिका आपकी मदद करेगी।

# गवाह क्या है?

गवाह वह व्यक्ति है, जो हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण बातें जानता हो।

हो सकता है कि आपने कुछ देखा हो या कुछ सुना हो। या आपके साथ कुछ हुआ हो।

हो सकता है कि आपने किसी बच्चों के रिपोर्टर, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता या पुलिस से बात की हो और उन्हें बताया हो कि आप क्या जानते हैं।

अब यह आवश्यक है कि आप अदालत में मौजूद लोगों को भी बतायें कि आप क्या जानते हैं।

इसे गवाह बनना या गवाही देना कहते हैं।

कुछ बच्चे गवाह बनने या अदालत में जाने के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। चिंता न करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं।

यहाँ कुछ ऐसी बातें दी जा रही हैं, जिनके बारे में अन्य बच्चों ने पूछा है।

**अदालत में क्या होता है?**

**अदालत में कौन-कौन होगा?**

**क्या मैं अकेला रहूँगा?**

**जब मैं गवाह बनूँगा तो मेरी मदद कौन कर सकता है?**

आपके लिए जो भी जानना ज़रूरी है, यह पुस्तिका आपको बतायेगी।

# आपकी मदद कौन कर सकता है?

बहुत से ऐसे लोग हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं। आप अपने परिवार में या अपने स्कूल में किसी से बात कर सकते हैं।

यहाँ कुछ अन्य ऐसे लोग हैं, जिनका काम आपकी मदद करना है:

- **बच्चों के रिपोर्टर या वकील** आपकी मदद कर सकते हैं।  
यही वह व्यक्ति है, जिसने आपसे गवाही देने को कहा है।
- **सामाजिक कार्यकर्ता** आपकी मदद कर सकता है। सामाजिक कार्यकर्ता वह व्यक्ति है, जो उन लोगों के साथ काम करता है जिन्हें अतिरिक्त मदद की ज़रूरत हो।
- **हित-रक्षक (safeguarder)**। कुछ मामलों में हित-रक्षक या सेफगार्डर कहलाने वाला एक व्यक्ति आपकी मदद करेगा।



# मेरे अदालत में जाने से पहले क्या होता है?

हो सकता है आपने गवाह बनने के बारे में बच्चों के रिपोर्टर से या किसी वकील से बात की हो। रिपोर्टर और वकील वे लोग हैं, जो कानून के ठीक से काम करने में मदद देते हैं।

आमतौर पर रिपोर्टर या वकील आपके पास आयेंगे, आपसे बातें करेंगे और आपसे सवाल भी पूछेंगे। हो सकता है, आपसे सवाल पूछने के इच्छुक एक से अधिक वकील हों।

वे आपको अदालत के बारे में बता सकते हैं और यह दिखा भी सकते हैं कि अदालत कैसी लगती है। अगर आप अदालत को देखना चाहते हैं तो उनसे कहें।

रिपोर्टर या वकील आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे।

# अदालत क्या है?

अदालत वह जगह है, जहाँ एक शेरिफ काम करते हैं। शेरिफ अदालत के प्रभारी होते हैं और उनका काम है आपकी बात सुनना। वे आपसे सवाल भी पूछ सकते हैं।

अदालत को यह फैसला करना होता है कि क्या कोई घटना हुई है और उसके बाद क्या करना है।

ज़्यादातर अदालतें, एक से ज़्यादा कमरों वाली इमारतें हैं। उसमें सबसे महत्त्वपूर्ण कमरा – अदालत का कमरा है।

# अदालत में कौन-कौन होते हैं और उनके काम क्या-क्या हैं?

- अदालत में शेरिफ, बच्चों के रिपोर्टर और वकील हमेशा होते हैं। उनका काम है यह देखना कि सब कुछ निष्पक्ष तरीके से हो।

शेरिफ की मदद के लिए अन्य लोग भी होते हैं।

- **क्लर्क**: वह व्यक्ति है, जो शेरिफ के कागज़ों की देखभाल करता है।
- **कोर्ट ऑफिसर [जिसे कभी-कभी मेसर (macer) भी कहा जाता है]**: वह व्यक्ति है, जो शेरिफ को चीज़ें लाकर देता है और अदालत में अन्य लोगों की देखभाल करता है।

जिस व्यक्ति ने आपसे गवाह बनने को कहा है, वह यह भी बतायेगा कि अदालत में और कौन-कौन होगा।



# गवाह के रूप में आपका काम क्या है?

आपका काम है, अदालत में लोगों को यह बताना कि आप क्या जानते हैं। कभी-कभी यह काम कठिन भी हो सकता है। अगर आप थोड़े से चिंतित हैं, तो शेरिफ, बच्चों के रिपोर्टर और वकील, यह समझ सकते हैं। वे जानते हैं कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं। और वे आपकी मदद करेंगे।

**आपसे कुछ सवाल पूछे जायेंगे।**

- शेरिफ आपसे पूछ सकते हैं कि आपका नाम क्या है और आपकी आयु कितनी है।
- बच्चों के रिपोर्टर और वकील आपसे, जो कुछ आपने देखा या सुना हो, उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं।
- आपके साथ जो कुछ हुआ हो, उसके बारे में भी वे आपसे पूछ सकते हैं।

जो कुछ भी आप जानते हों, वह सब आपको शेरिफ, बच्चों के रिपोर्टर और वकील को बता देना चाहिए।

अगर कुछ बातें ऐसी हों, जिनके बारे में बताना कठिन हो, तो भी आप उन्हें बता सकते हैं।

अगर कोई गोपनीय बात हो, तो वह भी उन्हें बताई जा सकती है, बशर्ते कि वह सच हो।

सच बताने में आपको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए।



# अदालत को बताना कि आप क्या जानते हैं?

शेरिफ, बच्चों के रिपोर्टर और वकील नहीं जानते कि क्या हुआ था। आपको उनकी मदद करने के लिए अदालत को बताना चाहिए कि आप क्या जानते हैं।

**यह बहुत जरूरी है कि सारी बातों के बारे में सच बोलें।**

सभी सवालों को ध्यान से सुनें। सवालों का जवाब देने की कोशिश करें। याद रखें – साफ-साफ और ज़ोर से बोलें।

अदालत यह जानना चाहती है कि **आप** को क्या कहना है। आपको क्या कहना है, इस बारे में दूसरा कोई आपको नहीं बता सकता।

कभी-कभी बच्चों के रिपोर्टर या वकील बड़े-बड़े और कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं या फिर भ्रम पैदा करने वाले सवाल पूछते हैं। यदि कोई शब्द या सवाल आपकी समझ में नहीं आता, तो आप कह सकते हैं कि –‘मैं समझा नहीं’।

आप अपना हाथ उठाकर कह सकते हैं – ‘एक्सक्यूज़ मी’, जैसे कि आप स्कूल में करते हैं। आप उनसे यह भी कह सकते हैं कि छोटे शब्दों का प्रयोग करें।

यह बहुत ज़रूरी है कि आप किसी बारे में अनुमान न लगायें।

यदि आपको किसी बात का जवाब मालूम नहीं है या याद नहीं है, तो आप साफ कह सकते हैं।

अगर आपको जवाब नहीं मालूम तो घबराने की कोई बात नहीं है।

# गवाही देने में आपकी सहायता करना

गवाह बनना हमेशा आसान नहीं होता। बड़े लोग यह समझते हैं कि आप चिंतित हो सकते हैं।

गवाह बनने में आपकी मदद करने के लिए आपको विभिन्न तरीकों के बारे में बताया जायेगा। इन तरीकों से आपको आरामदेह महसूस करने में मदद मिल सकती है।

रिपोर्टर, वकील या सामाजिक कार्यकर्ता आपको गवाही देने के इन विशेष तरीकों के बारे में बतायेंगे।

## विशेष टेलीविज़न का प्रयोग करना

आप अदालत में जाये बगैर विशेष टेलीविज़न का प्रयोग करके भी गवाह बन सकते हैं। अगर आप लोगों से भरी हुई अदालत में जाने के बारे में निश्चय नहीं कर पा रहे हैं। तो यह आपकी मदद कर सकता है। आप शेरिफ, बच्चों के रिपोर्टर और वकीलों से बात करने के लिए इस टेलीविज़न का प्रयोग कर सकते हैं।

टेलीविज़न का कमरा उसी इमारत में हो सकता है, जिसमें अदालत है।

कभी-कभी छोटे बच्चों को अदालत की इमारत में आने की ज़रूरत ही नहीं होती। टेलीविज़न का कमरा, अदालत से दूर किसी इमारत में हो सकता है।

जब टेलीविज़न चला दिया जाता है तो अदालत में बैठे लोग आपको देख सकते हैं और आपकी बातें सुन सकते हैं। आप भी टेलीविज़न स्क्रीन पर उस व्यक्ति को देख पायेंगे जो आपसे सवाल पूछ रहा हो।

अगर आप सवाल ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं या कोई और समस्या है तो शेरिफ को बताना चाहिए।



# ओट (स्क्रीन) का प्रयोग करना

हो सकता है कि आप अदालत में तो जाना चाहते हैं लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को अदालत में देखने से चिंतित हैं।

अदालत में ऐसी ओट (स्क्रीन) लगाई जा सकती हैं कि आपको उस व्यक्ति को देखना न पड़े।

यह ओट एक परदे की तरह होती है, जो कमरे को अलग-अलग हिस्सों में बाँट देती है।

आप शेरिफ, बच्चों के रिपोर्टर और वकीलों तथा उनके सहायकों को देख सकेंगे।

# सहायक व्यक्ति का उपयोग करना

आप पूरे समय अपने पास एक बड़े व्यक्ति को रख सकते हैं, तब भी जब आप शेरिफ या रिपोर्टर या वकीलों से बातें कर रहे हों।

इस व्यक्ति को सहायक कहा जाता है।

सोचिये कि आप किसे अपना सहायक व्यक्ति बनाना चाहेंगे।

# अन्य बातें जो आपकी मदद कर सकती हैं

बच्चों के रिपोर्टर, सामाजिक कार्यकर्ता या वकील आपको उन अन्य विशेष तरीकों के बारे में बता सकते हैं, जिनसे वे आपको गवाह बनने में मदद दे सकते हैं।

अदालत जानना चाहती है कि आप किस तरह गवाही देना चाहेंगे।

सवाल पूछने से मत डरिये।

आपके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, यह चुनने में कोई आपकी मदद करेगा।

यदि आप अपना फैसला बदलना चाहते हैं तो किसी व्यक्ति को बतायें जो आपकी मदद कर सकता हो।

# अदालत में जाना

हो सकता है, आप पहले कभी किसी अदालत में न गये हों।

अच्छा है अगर आप पहले से उस अदालत या उस जगह को देख आयें जहाँ आप गवाह बनने वाले हैं।

आप वहाँ अपने किसी परिचित के साथ जा सकते हैं। जैसे कि आपके परिवार का कोई व्यक्ति या आपका सामाजिक कार्यकर्ता या बच्चों का रिपोर्टर।

आप इधर—उधर घूम सकते हैं और उस जगह को भी देख सकते हैं जहाँ आप बैठेंगे।

आप विशेष टेलीविज़न और स्क्रीन देख सकते हैं। आप गवाह बनने का अभ्यास भी कर सकते हैं।

अगर आप मनोरंजन करना चाहें, तो शेरिफ बनने का अभ्यास कर सकते हैं।

अदालत के कमरे और विशेष तरीके कैसे दिखते हैं, यह आप सीडी रॉम पर भी देख सकते हैं। इसके बारे में पूछें।

# गवाह बनने की प्रतीक्षा करना

गवाही देने के लिए कभी-कभी काफी देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है।

अदालतें बहुत व्यस्त होती हैं। आपको प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। बोर भी होना पड़ सकता है। **अच्छा है अगर अपने साथ कोई किताब, या कॉमिक या अपना कोई मनपसंद खिलौना ले जायें।**

जो व्यक्ति आपके साथ आ रहा है, उससे कहें कि आपके लिए कुछ खाने-पीने को भी ले आये।

कभी-कभी हो सकता है आपको उस दिन घर लौटना पड़े और किसी और दिन आना पड़े।

कभी-कभी हो सकता है कि आपने सवालों के जवाब देने शुरू कर दिये हों लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए आपको किसी और दिन आना पड़े।

# आपका काम ख़त्म हो जाने के बाद क्या होता है?

जब सभी सवाल पूछ लिये जाते हैं और जो कुछ भी आप जानते हैं, उसे अदालत को बता देते हैं, तो आपका काम ख़त्म हो जाता है।

आपने एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण काम पूरा कर लिया है।

जब सभी गवाहों का काम ख़त्म हो जाता है, तब शेरिफ यह फैसला करते हैं कि आगे क्या करना है। कोई आपको बतायेगा कि शेरिफ ने क्या फैसला किया है।

**शाबाश!**

**गवाह बनने के लिए धन्यवाद।**

# याद रखने योग्य बातें

जब आप गवाह हों तो मदद माँग सकते हैं।

*'एक्सक्यूज़ मी!'*

आप अपना हाथ उठाकर 'एक्सक्यूज़ मी' कह सकते हैं।

आपको कुछ देर आराम करने के लिए रुकने की ज़रूरत हो सकती है।

आपको पानी पीने की या टॉयलेट जाने की ज़रूरत हो सकती है।

अगर आप अस्वस्थ या थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो शेरिफ, बच्चों के रिपोर्टर और वकील सभी इसे समझ सकते हैं।

सभी लोग आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे।

## प्रश्न?

अगर गवाह बनने के बारे में आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो उन्हें लिख सकते हैं।

यदि आप चाहें तो किसी से मदद ले सकते हैं।

रिपोर्टर, सामाजिक कार्यकर्ता या वकील आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे।

प्रश्न?	उत्तर
क्या मैं स्क्रीन या विशेष टेलीविज़न का प्रयोग करना चाहता हूँ?	
मेरा सहायक व्यक्ति कौन हो सकता है?	
क्या मैं पहले से अदालत देखना चाहता हूँ?	
मैं किन बातों के बारे में चिंतित हूँ?	

**शाबाश और धन्यवाद**

आपके नोट्स



इस दस्तावेज की अन्य प्रतियाँ ऑडियो, बड़े अक्षरों और सामुदायिक भाषाओं में, अनुरोध करने पर उपलब्ध हैं।  
कृपया संपर्क करें – 0131 244 2213।

© क्राउन कॉपीराइट 2005

यह दस्तावेज़ स्कॉटिश प्रशासन की वेबसाइट: [www.scotland.gov.uk](http://www.scotland.gov.uk) पर भी उपलब्ध है।

Astron B41392 06/05 (Hindi)

अन्य प्रतियाँ उपलब्ध हैं—  
Blackwell's Bookshop  
53 South Bridge  
Edinburgh  
EH1 1YS

फोन द्वारा ऑर्डर और पूछताछ  
0131 622 8283 अथवा 0131 622 8258

फैक्स द्वारा ऑर्डर  
0131 557 8149

ई-मेल द्वारा ऑर्डर  
[business.edinburgh@blackwell.co.uk](mailto:business.edinburgh@blackwell.co.uk)

यह दस्तावेज़, मूल की हूबहू प्रतिकृति समझा जा सकता है

[www.scotland.gov.uk](http://www.scotland.gov.uk)